बिहार विधि – भाषा अधिनियम, 1955

(बिहार अधिनियम 23, 1955)

इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमित तारीख 8 नवम्बर, 1955 को प्राप्त हुई और यह अनुमित पहली बार तारीख 25 नवम्बर, 1955 के बिहार गजट के असाधारण अंत में प्रकाशित हुई।

बिहार राज्य में विधि-भाषा विहित करने के लिये अधिनियम

भारत—गणराज्य के छठे वर्ष में बिहार राज्य विधान—मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –
- (1) यह अधिनियम बिहार विधि—भाषा अधिनियम (बिहार लैंग्वेज ऑफ लॉज ऐक्ट), 1955 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न उपबंधों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
 - 2. विधेयकों आदि में प्रयुक्त होनेवाली भाषा :--
- (क) राज्य विधान—मंडल के किसी सदन में पुर:स्थापित किये जानेवाले सभी विधेयकों अथवा उनपर प्रस्तावित किये जानेवाले संशोधनों:
 - (ख) राज्य विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों;
 - (ग) संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित सभी अध्यादेशों; और
- (घ) संविधान के अधीन अथवा संविधान के प्रारम्भ के पहले या बाद बनी किसी विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उप—विधियों में;

प्रयुक्त होनेवाली भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगीः

परन्तु खंड (क) के प्रारम्भ के पहले पुरःस्थापित विधेयक राज्य विधान—मंडल द्वारा अंग्रेजी भाषा में भी अधिनियम के रूप में पारित किये जा सकेंगे।

[Bihar Act XXIII of 1955]

THE BIHAR LANGUAGE OF LAWS ACT, 1955.

(This Act received the assent of the President on the 8th November 1955 and the assent was first published in the Bihar Gazette, Extraordinary, of the 25th November 1955.)

AN ACT

TO PRESCRIBE THE LANGUAGE OF LAWS IN THE STATE OF BIHAR.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixth year of the Republic of India as follow:--

- 1. Short title, extent and commencement. --- (1) This Act may be called the Bihar Language of laws Act, 1955.
 - (2) It extends to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force on such date as the State Government may be notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions.
 - 2. Language to be used in Bills, etc. –The language to be used in—
 - (a) All Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of the Legislature of the state;
 - (b) All Acts passed by the State Legislature;
 - (c) All Ordinances promulgated under Article 213 of the Constitution; and
 - (d) All orders, rules, regulations and bye-laws issued by the State Government under the Constitution;

Shall be Hindi in Devanagari script:

Provided that Bills introduced prior to the commencement of clause (a) may be passed as Acts by the State Legislature in the English language.